

दि. 29.07.2025

मध्यप्रदेश शासन. 848]

जिला व्यापार एवं संयोग केन्द्र, बुरहानपुर

Email:- gmbur@mp.gov.in

क्रमांक / जिव्याउके / टेक्सटाईल / 2025 / 935

दिनांक 03.07.2025

प्रति

उपायुक्त सहकारिता

सहकारिता विभाग

जिला बुरहानपुर

विषय :- बहादरपुर सहकारी सूत मिल बुरहानपुर में कार्यरत श्रमिकों एवं मजदूरों की प्रमाणित सूची उपलब्ध कराने के संबंध में।

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि बहादरपुर सहकारी सूत मिल की स्थापना सहकारिता विभाग के नियमों एवं अधिनियमों के अंतर्गत की गई थी। सहकारिता विभाग द्वारा मिल को बन्द कर सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया। मिल का समापन भी आपके विभाग के नियमों अंतर्गत हो सकता है।

कार्यालयीन दस्तावेजों में बहादरपुर सहकारी सूत मिल बुरहानपुर में कार्यरत श्रमिकों एवं मजदूरों की प्रमाणित सूची नहीं पाई गई। नस्ती में मिल में कार्यरत श्रमिकों एवं मजदूरों की निम्नानुसार जानकारी बतायी गई है -

- परिसमापक ग्रामोद्योग अधिकारी द्वारा

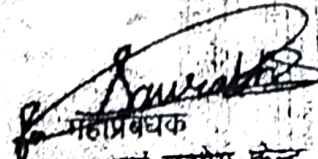
i] स्थाई/कर्मचारी	505	
ii] बदली कर्मचारी	208	
iii] अस्थायी कर्मचारी	208	कुल 921
- परिसमापक सहकारिता विभाग द्वारा

i] कर्मचारी	88	
ii] स्थाई कर्मचारी	486	
iii] बदली कर्मचारी	181	
iv] अस्थायी कर्मचारी	265	
v] दैनिक वेतनभोगी	40	कुल 1019
- तत्कालिन माननीय उच्च शिक्षा मंत्री एवं वर्तमान विधायक बुरहानपुर श्रीमती अर्चना चिटनीस द्वारा वर्ष 2009 में बताया गया कि बहादरपुर सहकारी सूत मिल में कुल 645 कर्मचारी होना बताया गया है।
- संयुक्त संघर्ष समिति सहकारी सूत मिल मर्यादित बुरहानपुर से श्रमिक प्रतिनिधियों द्वारा कार्यालय में प्रस्तुत सूची निम्नानुसार है :-

i] कार्यालयीन कर्मचारी	53	
ii] सामान्य श्रमिक	71	
iii] श्रमिक प्रथम वर्ग	124	
iv] श्रमिक द्वितीय वर्ग	124	
v] श्रमिक तृतीय	134	
vi] सेवानिवृत्त	28	
vii] बदली वाले श्रमिक	209	कुल 743

उपरोक्त सभी के द्वारा अलग अलग प्रकार की जानकारी प्रस्तुत की जा रही है। मिल में कार्यरत श्रमिकों एवं मजदूरों की प्रमाणित सूची के अभाव में श्रमिकों एवं कर्मचारियों की संख्या का निर्धारण नहीं हो पा रहा है तथा इनमें से कुल कितने कर्मचारियों का भुगतान किये जाने के पात्र हैं उनका भी कोई स्पष्ट सूची न होने से निराकरण किया जाना संभव नहीं होगा।

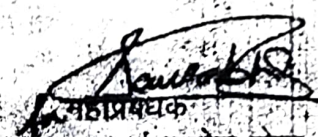
अतः प्राथमिकता के आधार पर इसको गंभीरता से लेते हुए सूची उपलब्ध कराने का कार्य करें।

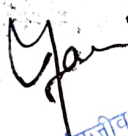

महाप्रबंधक
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र,
बुरहानपुर

क्रमांक/जिव्याउके/टेक्सटाईल/2025/936-938
प्रतिलिपि:-

दिनांक 03.07.2025

1. उद्योग आयुक्त, (टेक्सटाईल कक्ष) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. अपर कलेक्टर जिला बुरहानपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. संयुक्त आयुक्त सहकारिता विभाग इन्दौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।


महाप्रबंधक
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र,
बुरहानपुर


(राजीव जैन)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग

तारीख 8.7.2025

पृष्ठ-7

पत्र दि. 29.07.2025

महाप्रदेश शासन

जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, बुरहानपुर

Email ID gmbur@mp.gov.in

क्रमांक / जिल्लाक / देवसदित 088 / 2025 / 911

बुरहानपुर दिनांक 4/7/25

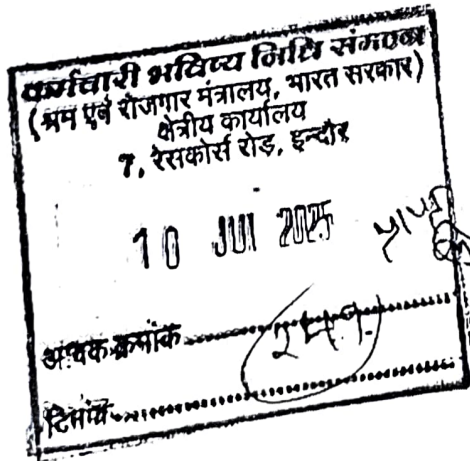
प्रति,

क्षेत्रीय भविष्यनिधि संयुक्त
क्षेत्रीय भविष्यनिधि कार्यालय
रेसकोर्स रोड प्राधिकरण भवन
इन्दौर म. प्र. 452001

विषय :- बहादुरपुर सहकारी सूत मिल मर्यादित बुरहानपुर में कार्यरत श्रमिकों एवं मजदूरों की सूची उपलब्ध कराने के संबंध में ।

उपरोक्त विषयावर्तित लेख है कि जिले में मेसर्स बहादुरपुर सहकारी सूत मिल मर्यादित बुरहानपुर की स्थापना वर्ष 1964 में की गई थी। सूतमिल का उत्पादन फरवरी 1998 से बंद हो गया है सूतमिल की देनदारियों के कारण अक्टूबर 1999 में सहकारी सूत मिल मर्यादित बुरहानपुर को सहकारिता विभाग द्वारा परिसमापन में लाया गया । कार्यालयीन रिकार्ड में यह पाया गया है कि यहाँ के कर्मचारियों का भविष्यनिधि कटौती कर आपके कार्यालय में जमा किया जाता रहा है।

तत्काल समय में मिल में कार्यरत श्रमिकों एवं मजदूरों की देयको / स्वत्वों के भुगतान की कार्ययोजना बनाये जाने हेतु कार्यरत श्रमिकों एवं मजदूरों की सूची आवश्यक है। अतः कृपया आपके रिकार्ड में उपलब्ध सहकारी सूत मिल मर्यादित बुरहानपुर में कार्यरत श्रमिकों एवं मजदूरों की सूची उपलब्ध कराने का कष्ट करे जिनका भविष्य निधि खाता हो ।



परिसमापक

बहादुरपुर सहकारी सूत मिल मर्यादित,
एवं महाप्रबंधक
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र,
बुरहानपुर
9826210448

सिजीव जैन
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
सूक्ष्म व छोटे और मध्यम उद्यम विभाग